भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1223

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव

1223. श्री हैबी ईडन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दस वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा आईआईटी/एम्स में इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी/एम्स और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सामने आए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन और निगरानी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में पर सांख्यिकीय आंकड़ा संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 2022 तक के दौरान अनुसूचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध/अत्याचार के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** पर है। बढ़ती जागरूकता, व्यापक प्रचार और पुलिस कर्मियों के क्षमता निर्माण के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, अधिनियम, 1989 के तहत अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध भेदभाव से संबंधित आंकड़े आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ): दो अधिनियम अधिनियमित किए गए थे अर्थात् सिविल अधिकार संरक्षण {पीसीआर} अधिनियम, 1955, जो 'अस्पृश्यता' के व्यवहार से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन के लिए दंड का प्रावधान करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989 जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए प्रावधान करता है। इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना और अत्याचार के विरूद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) चला रहा है। एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधान केंद्रीय कार्यालयों/संस्थाओं में भी लागू हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को प्रोत्साहन देने और उनकी रक्षा करने के लिए उनके शोषण के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध भेदभाव को कम करने के लिए, विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) में एससी/एसटी छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत निवारण समिति, जनसंपर्क अधिकारी आदि की स्थापना करना और एससी/एसटी छात्रों सहित सभी छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए विनियम जारी करना शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी उसके द्वारा प्रबंधित संस्थानों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े मानदंड तैयार किए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए अर्थोपाय तैयार करने के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एससी/एसटी (पीओए) 1995 के अनुसार एक त्रि-स्तरीय निगरानी तंत्र है: राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं; जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं; सब डीविजन स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति, जिसकी सब डीविजन स्तर पर अध्यक्षता एसडीएम करते हैं।

******

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2013-2022 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराध के अंतर्गत दर्ज मामले

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
2013	39408	6793	46201
2014	40401	6827	47228
2015	38670	6276	44946
2016	40801	6568	47369
2017	43203	7125	50328
2018	42793	6528	49321
2019	45961	7570	53531
2020	50291	8272	58563
2021	50900	8802	59702
2022	57582	10064	67646
स्रोत:- *राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय*			

****